सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 807 राँची, मंगलवार, 15 अक्टूबर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

05 अगस्त, 2019

विषय:- राँची जिला में मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के संचालन हेतु मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के MOU प्रारूप की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृत राशि रूपये 11,03,51,064/- (रूपये ग्यारह करोड़ तीन लाख एकावन हजार चौंसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या - खा॰ 02/दा.भा.यो.-02/2017 - 2376, -- विभागीय संकल्प संख्या-3150, दिनांक 20.07.2017 द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया है। झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्य हित में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन को योजना का कार्य आवंटित किया गया है।

2. राँची जिलान्तर्गत मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन द्वारा Base Kitchen निर्माण एवं वितरण केन्द्र निर्माण हेतु Detailed Project Report (DPR) उपलब्ध कराना,

Drawing एवं Design उपलब्ध कराना, Project Management Consultancy सेवा उपलब्ध कराना, Centralized Kitchen का संचालन तथा लाभुकों को वाहन/वितरण केन्द्र के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने का कार्य मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन के द्वारा किया जाना है।

3. कंडिका-2 में वर्णित कार्य के निष्पादन हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन के साथ MOU किया जाना है, जिसका प्रारूप संलग्न है। उक्त MOU की अवधि तीन वर्ष की होगी। मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित MOU की अवधि को समीक्षोपरान्त विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त (बिना किसी संशोधन के) अगले तीन वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

4. विभागीय संकल्प संख्या-3150, दिनांक 20.07.2017 द्वारा राँची जिला में एक बेस किचन-सह-वितरण केन्द्र एवं 18 वितरण केन्द्र के निर्माण हेतु रूपये 10,01,66,608/- (रूपये दस करोड़ एक लाख छियासठ हजार छः सौ आठ) मात्र की राशि स्वीकृत की गयी थी। प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा उक्त निर्माण हेतु कुल रूपये 11,64,54,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ चैंसठ लाख चैवन हजार) मात्र की राशि की तकनीकी स्वीकृति संसूचित की गयी है। वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन को देय राशि को झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को भुगतेय राशि से घटाने के फलस्वरूप रूपये 11,03,51,064/- (रूपये ग्यारह करोड़ तीन लाख एकावन हजार चैंसठ) की राशि के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

5. Base Kitchen निर्माण एवं वितरण केन्द्र निर्माण हेतु Detailed Project Report (DPR) उपलब्ध कराना, Drawing एवं Design उपलब्ध कराना, Project Management Consultancy सेवा उपलब्ध कराने के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन को कुल रू0 46,50,000/- + GST का भुगतान किया जायेगा, जिसका विवरणी, Time lines एवं Mile Stones का MOU में विस्तृत उल्लेख है । उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है तथा प्रश्नगत कार्यों के लिए झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में विशेष परिस्थिति में मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन को भुगतेय राशि 46,50,000/- + GST को घटाकर झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को देय Charges का भुगतान किया जायेगा।

7. मुख्यमंत्री कैटीन योजना अन्तर्गत मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन द्वारा लाभुकों को उपलब्ध कराये जाने वाला भोजन का मेन्यू की विवरणी का MOU में उल्लेख है । उक्त भोजन पर व्यय की विवरणी निम्न प्रकार है:-

Item	Amount	Cost escalation
(i) Cost of one meal	Rs. 20+GST	Inflation data के आधार पर मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन के अनुरोध पर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु0 1/-(एक रूपये) की बढ़ोतरी की जा सकेगी ।
(ii) मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन द्वारा लाभुक से वसूल की जाने वाली राशि (प्रति meal)	Rs. 10/-	विभाग समय समय पर इस राशि में बढ़ोतरी करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
(iii) राज्य सरकार द्वारा मे॰ टचस्टोन फाउण्डेशन को भुगतान की जाने वाली अनुदान की राशि (प्रति meal) (SL.No. i-ii)	Rs. 10/- +GST	क्रमांक-i एवं क्रमांक-ii में बढ़ोतरी की स्थिति में अनुदान की राशि में संशोधन होगा।

8. राशि की निकासी बजट शीर्ष 3456-सिविल पूर्ति/उपशीर्ष-23-मुख्यमंत्री दाल-भात योजना/मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि 35.00 करोड़ है।

9. विभागीय संकल्प संख्या 3150, दिनांक 20.07.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

10. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या-2151, दिनांक 22.07.2019 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30.07.2019 की बैठक के मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

अमिताभ कौशल,

सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 807 -- 100